एम. एल. कौल, *न्यायमूर्ति के समक्ष*

जसबीर सिंहऔर अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

सी.आर.एल. एम. *सं.* 13267-एम. 1995

3 जनवरी, 1997

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धाराएं 145 और 146-प्रारंभिक आदेश पारित करने की आवश्यक आवश्यकताएं।

अभिनिर्धारित किया कि प्रारंभिक आदेश में अनिवार्य रूप से (1) एक बयान कि मैजिस्ट्रेट किसी ऐसे विवाद के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट है जिससे शांति भंग होने की संभावना है; (2) उसके इस तरह संतुष्ट होने के आधार; (3) उस संपत्ति का सही विवरण जिसके संबंध में कार्यवाही शुरू की गई है; (4) ऐसे विवाद में संबंधित पक्षकार और (5) एक ऐसा निर्देश जिसमें पक्षकारों या उनमें से किसी एक को किसी विशेष दिन न्यायालय में उपस्थित होने और विवादग्रस्त भूमि के वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में अपने दावे का जवाब दावा देने की आवश्यकता *हो।* वर्तमान मामले में पारित आदेश में धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रारंभिक आदेश की सभी आवश्यक आवश्यकताओं का अभाव है। मैजिस्ट्रेट ने जल्दबाजी में और कानून के प्रावधानों पर अपना दिमाग लगाये बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।अतः मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

(पैरा 8,9,18)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया कि पक्षकारों के बीच दीवानी मुकदमे लंबित थे और दीवानी न्यायाधीश ने पक्षों को हर तरह से कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।इस आदेश को ध्यान में रखते हुए, दीवानी अदालत द्वारा यथास्थिति के आदेश जारी किए जाने के बाद, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट *धारा* 146 सी.आर.पी.सी. के तहत मामले में रिसीवर नियुक्त करने के लिए किसी भी तरह से सक्षम नहीं थे।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम. एल. सरीन, *अधिवक्ता* एस. एस. तूर, के *साथ।*

एच. एस. हुड्डा, महाधिवक्ता हरियाणा सरकार, अधिवक्ता विमल कुमार के साथ।

जसबीर सिंह और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य
(एम. एल. कौल. *न्यायमूर्ति*)

आर. के. हांडा, अधिवक्ता, ग्राम पंचायत के लिए।

प्रतिवादी संख्या 22 के लिए *वाई. पी.* मलिक, अधिवक्ता

निर्णय

एम. एल. कौल, न्यायमूर्ति

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के दायरे में इस याचिका के माध्यम से, संलग्नक पी-4 में वर्णित पुंदरी जिला कैथल के पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी की रिपोर्ट पर धारा 145 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है, जिस पर संलग्नक पी-15 में निहित अंतिम आदेश पारित किया गया था।

(2) इस कार्यवाही को जन्म देने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्यों से पता चलता है कि गांव दुसैन में स्थित 253 कनाल की कुछ भूमि ग्राम पंचायत की है और याचिकाकर्ता नंबर 4 किकर सिंह के बेटे राघन सिंह भी उस भूमि पर लगभग 1 एकड़ में खेती कर रहे थे। संबंधित पक्षकारों के पास ग्राम पंचायत की भूमि 'जुमला मालकान' के रूप में शांतिपूर्ण कब्जा है जो लगभग 1038 कनाल है।इसका अधिकार याचिकाकर्ताओं के पास है क्योंकि पट्टेदार और ग्राम पंचायत इसे साल-दर-साल आधार पर संबंधित पक्षकारों को पट्टे पर दे रही थी। जमाबंदी और खसरा गिरदावरी में उस प्रभाव की प्रविष्टियाँ भी निहित हैं जो यह दर्शाती हैं कि पक्षकार 'पट्टेदारण' हैं।तत्कालीन ग्राम पंचायत ने 20 नवंबर, 1994 को एक खुली नीलामी में एक प्रस्ताव पारित करके अपनी 253 कनाल की भूमि जसवंत सिंह और अन्य के पक्ष में रु. 82000 पर पट्टे पर दी। ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया कि ग्राम पंचायत की 253 कनाल भूमि को प्रतिवादी जसवंत सिंह और अन्य को केवल छह महीने यानी 20 नवंबर, 1994 से 20 मई, 1995 तक केवल रबी फसल की बुवाई के लिए पट्टे पर दिया जाए।उक्त जसवंत सिंह और अन्य लोगों ने सरपंच के माध्यम से ग्राम पंचायत को उन्हें ग्राम पंचायत की भूमि से बेदखल करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया।विद्वान उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कैथल, श्री जय सिंह जांगड़ा ने अपने 10 जून, *1995* के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी-ग्राम पंचायत को 60,000 रुपये की राशि जमा करने के लिए एक सशर्त आदेश पारित करके रोक दिया। जिसमें विफल रहने पर न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश हटाया जाना था, चूंकि प्रतिवादी रुपये जमा करने में विफल रहे। इसलिए न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन आदेश हटा लिया गया ।उक्त आदेश के खिलाफ ग्राम पंचायत द्वारा जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की गई थी, जिन्होंने अवकाश न्यायाधीश के रूप में शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 जून, 1995 के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दी थी।

(3) याचिकाकर्ताओं के अनुसार पिछले 40 वर्षों से उनके पास पंचायत की 1038 कनाल भूमि है।इससे पहले कुल भूमि बरानी और गैर-खेती योग्य, निचला क्षेत्र थी, जिसे जमाबंदी में झील के रूप में दिखाया गया था।याचिकाकर्ताओं ने अपनी कड़ी मेहनत से इसके कुछ हिस्से को खेती योग्य बना दिया। पंचायत ने प्रस्ताव पारित करके गाँव में एक खुली नीलामी में

याचिकाकर्ताओं को इसे साल दर साल पट्टे के आधार पर देना शुरू किया।

(4) हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 9, 1992 द्वारा पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियम) की धारा 2 में संशोधन, विचाराधीन भूमि को पक्षकारों को सुने बिना ग्राम पंचायत के नाम से परिवर्तित कर दिया गया था।इस संबंध में 1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 17438,1993 की 5962/94,7108/94,6097/94,7407/94,7713/92 और 4614 दायर की गईं और इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने इन सभी रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।1994 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 17438 में पारित आदेश का अन्य रिट याचिकाओं में भी पालन किया गया, जिसमें कहा गया था कि **गाँव सादीपुर, तहसील नारायणगढ़ बनाम हरियाणा राज्य** (1) के *निवासियों के मामले में इस न्यायालय* की *पूर्ण पीठ के* विचार से, प्रतिवादी (अर्थात हरियाणा राज्य और ग्राम पंचायत, दुसैन) अधिकार अधिकारातीत घोषित संशोधित अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं ले सकते। उस निर्णय *को ध्यान* में रखते हुए प्रतिवादी को संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं से कब्जा लेने से रोक दिया गया था।

(1) 1995 (1) ऑल सी.डी. 421।

(5) प्रतिवादी संख्या 4 से 21 तक ने याचिकाकर्ता संख्या 4 बाघैल सिंह के आवेदन का लाभ उठाते हुए पुलिस में उन प्रत्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जो उसके कब्जे में 1 एकड़ पंचायत भूमि के संबंध में उसके कब्जे में गड़बड़ी कर रहे थे और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वर सिंह के प्रभाव में एक कलंदरा तैयार करने में सफल रहे, जो प्रतिवादी निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं और इसे प्रतिवादी संख्या 1-उप-मंडल मजिस्ट्रेट, कैथल द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के तहत संलग्न किया गया था। कलंदरे में याचिकाकर्ताओं के कब्जे में जुमला मलकान की भूमि के खसरा नंबर को प्रतिवादी नंबर 4 से 21 तक उनको उपकृत करने के लिए जोड़ा गया था, जो उक्त ईश्वर सिंह, स्पीकर के समर्थक हैं। यद्यपि 17 जुलाई, 1995 के लिए उप-विभागीय मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिसों के जवाब में जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, उच्च न्यायालय के 8 मई, 1995 के आदेश और सिविल न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां के साथ सभी दस्तावेज दायर किए गए थे, जो प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को उनके शांतिपूर्ण कब्जे से बेदखल करने से रोकते थे, लेकिन उक्त मैजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 145/146 के तहत एक आदेश पारित किया और नियुक्ति का आदेश दिया। रिसीवर के रूप में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 31 जुलाई, 1995 का आदेश कानून और मामले के तथ्यों के खिलाफ है और अधिकार क्षेत्र से परे, असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

(6) दूसरे पक्ष द्वारा जवाब दावे के माध्यम से आपत्तियां दायर की गईं।वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि ग्राम पंचायत से संबंधित 1 एकड़ भूमि के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ,

जिसका कब्जा याचिकाकर्ता बाघैल सिंह के पास था, जो इसकी खेती कर रहे थे। पंचायत-प्रतिवादी के अनुसार उक्त भूमि जसवंत सिंह के पक्ष में पट्टे पर दी गई थी और बाघैल सिंह और जसवंत सिंह के बीच कब्जे के संबंध में विवाद पैदा हो गया था, जिसमें पंचायत पक्षकार नहीं थी।

(7) प्रारंभ में यह उचित और उपयुक्त है पूरी कार्यवाही याचिकाकर्ता बाघैल सिंह द्वारा दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुई है, जिसमें ग्राम पंचायत के पट्टेदार के रूप में हस्तक्षेप से 1 एकड़ भूमि के संबंध में अपने कब्जे की रक्षा के लिए पुलिस की मदद मांगी गई है।इस शिकायत पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 5 जुलाई, 1995 को एक कलंदरा तैयार किया गया था।न केवल उनके द्वारा धारा 145 सी.आर.पी.सी की अवधारणा के भीतर 1 एकड़ मापने वाली भूमि को कुर्क करने और प्राप्तकर्ता नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था, बल्कि इसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा कब्जा की गई 1038 कनाल अन्य भूमि भी शामिल थी, जो पिछले तीन दशकों से अधिक समय से पट्टेदार के रूप में उनके पास थी। इस कलंदरे पर श्री एम. के. महाजन, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, कैथल द्वारा पारित आदेश इस प्रकार हैः—

> "जहां पुलिस थाना पुंडरी की पुलिस ने बताया है कि गांव दुसैन जिला कैथल में स्थित 1038 कनाल की भूमि के कब्जे के संबंध में विवाद है, मैं दोनों पक्षों को 17 जुलाई, 1995 को सुबह 9 बजे व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा इस अदालत में उपस्थित होने और विवादित भूमि पूर्वाहन अपने-अपने कब्जे के बारे में अपना लिखित बयान और अन्य दस्तावेज रखने का निर्देश देता हूं।जुलाई के इस 12वें दिन 1995 को मेरे हाथ और अदालत की मुहर के नीचे दिया गया।."

यह प्रारंभिक आदेश के आधार पर है कि विद्वान उप-मंडल मैजिस्ट्रेट ने पक्षों को सुनने के बाद धारा 146 सी.आर.पी.सी के तहत गांव दुसैन, तहसील और जिला कैथल में स्थित 1038 कनाल की भूमि को कुर्क किया और खंड विकास और पंचायत अधिकारी, पुंड्री को एक रिसीवर के रूप में नियुक्त किया ताकि पक्ष लड़ें ना और शांति बनी रहे।दीवानी अदालत के फैसले के बाद, विवादित भूमि का कब्जा उस, पक्ष को सौंपने का आदेश दिया गया था, जो भी इसका कब्जा साबित करेगा।

(8) प्रारंभिक शब्दों में उद्धृत करने के बाद; आदेश "विचारण मैजिस्ट्रेट को पारित किया गया जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह पाया जाना चाहिए कि क्या इस तरह से पारित प्रारंभिक आदेश धारा 145 सी.आर.पी.सी के दायरे में प्रारंभिक आदेश पारित करने के लिए आवश्यक कानून के आवश्यक अवयवों के तहत किया गया है या नहीं।विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करने के लिए कई प्राधिकरण हैं कि धारा 146 सी.आर.पी.सी के तहत ऐसा आदेश पारित करते समय मैजिस्ट्रेट द्वारा पालन किए जाने वाले प्रारंभिक आदेश की आवश्यक *शर्तें क्या हैं। ऐसे आदेश में* अनिवार्य रूप से शामिल होंगेः(1) एक बयान कि मैजिस्ट्रेट किसी ऐसे विवाद के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट है

जिससे शांति भंग होने की संभावना है; (2) उसके इस तरह संतुष्ट होने के आधार; (3) उस संपत्ति का सही विवरण जिसके संबंध में कार्यवाही शुरू की गई है; (4) ऐसे विवाद में संबंधित पक्षकार; और (5) एक ऐसा निर्देश जिसमें पक्षकारों या उनमें से किसी एक को किसी विशेष दिन न्यायालय में उपस्थित होने और विवादग्रस्त भूमि के वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में अपने दावे का जवाब दावा देने की आवश्यकता *हो*।

(9) वर्तमान मामले में पारित उपरोक्त प्रारंभिक आदेश में धारा 145 सी.आर.पी.सी के तहत प्रारंभिक आदेश की लगभग सभी आवश्यक आवश्यकताओं का अभाव है।मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में मामले के तथ्यों का वर्णन करने की परवाह नहीं की है ताकि यह निष्कर्ष दर्ज किया जा सके कि वह पक्षों के बीच विवाद के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट था जिससे मौके पर शांति भंग होने की संभावना थी।इस मुद्दे पर बस इतना ही कहा गया है कि पुलिस थाना, पुंड्री द्वारा यह बताया गया है कि गांव दुसैन जिले कैथल में स्थित 1038 कनाल की भूमि के कब्जे को लेकर विवाद है। धारा मैजिस्ट्रेट की संतुष्टि की अपेक्षा करती है न *कि विवाद के किसी पक्ष या पुलिस की जिसने कार्यवाही शुरू की।इस तरह* मैजिस्ट्रेट *ने अचल संपत्ति, जो एक कृषि योग्य भूमि है, के* कब्जे के संबंध में विवाद के बारे में अपने संतुष्ट होने का आधार बिल्कुल नहीं दिया है। उसने अपने आदेश में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया कि खसरा संख्या के तहत विचाराधीन भूमि को शामिल किया गया था।यह संभवतः किसी अधिकार के प्रभाव में उनके उत्साह या ध्यान की कमी के कारण है कि उन्होंने 1038 कनाल भूमि को उस आदेश में शामिल किया है जब वास्तव में 1 एकड़ भूमि शामिल थी जिसके संबंध में कब्जे के लिए विवाद उत्पन्न हुआ था।मैजिस्ट्रेट ने किसी भी पक्ष को विवाद में भूमि के वास्तविक कब्जे के संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज करने का कोई निर्देश दर्ज नहीं किया है जो कानून के तहत आवश्यक था।इसके *बजाय* उन्होंने पक्षों *को नोटिस देकर कहा* है कि वे अपने वकीलों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से पेश हों और विवादित भूमि पर अपने-अपने कब्जे के बारे में लिखित बयान और दस्तावेज दाखिल करें।इस प्रकार यह सामने आता है और पाया जाता है कि मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रारंभिक आदेश खामियों से भरा है और धारा 145 सी.आर.पी.सी के तहत निर्धारित कानून के खिलाफ और इसलिए इस आदेश पर आधारित कार्यवाही अवैध है और इस तरह पुरी अधिरचना को गिरना चाहिए।चूँकि प्रारंभिक आदेश में कमियाँ हैं इसलिए अंतिम आदेश समान रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है।

(10) अक्सर यह पाया गया है कि कई वास्तविक मामले ट्रायल मैजिस्ट्रेट की अक्षमता या असावधानी के कारण गिर जाते हैं क्योंकि वे सीआरपीसी की धारा 145 के तहत निर्धारित प्रारंभिक आदेश के आवश्यक अवयवों का ध्यान रखते हुए कानून के अनुसार प्रारंभिक आदेश पारित नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

जब तक ऐसे पीड़ित पक्षों को मैजिस्ट्रेट के ऐसे अवैध आदेशों के बारे में उच्च न्यायालय से न्याय मिलता है, तब तक बहुत पानी नीचे बह जाता है।कई बार कुछ निर्दोष लोग मजिस्ट्रेटों के

ऐसे आदेशों के बलि के बकरे बन जाते हैं जो बिना किसी समझदारी के पुलिस की रिपोर्ट पर पारित किए जाते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि इस तरह के आदेश पारित करने में धारा 145 (1) सी.आर.पी.सी के तत्व पूरे होते हैं या नहीं।

(11)कार्यकारी मैजिस्ट्रेट द्वारा इस अपर्याप्तता को दूर करने के लिए और यह जानने के लिए कि धारा 145 के तहत प्रारंभिक आदेश दर्ज करते समय कौन सी आवश्यक शर्तें पूरी की जानी चाहिए, मैं यह उचित समझता हूं कि फैसले की एक प्रति पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इस निर्देश के साथ भेजी जाए कि वे इसे अपने-अपने जिलों में काम कर रहे कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के बीच उनकी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए इस न्यायालय की पंजीकरण के अनुपालन की रिपोर्ट के साथ वितरित करें।

(12)गुणागुण के आधार पर ट्रायल मैजिस्ट्रेट द्वारा 31 जुलाई, 1995 को पारित अंतिम आदेश किसी भी न्यायिक विचार से रहित है कि मैजिस्ट्रेट ने अपने सामने पेश किए गए दस्तावेजों, विशेष रूप से जमाबंदी और खसरा गिरदावरी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड को देखने की परवाह नहीं की कि विचाराधीन संपत्ति याचिकाकर्ताओं द्वारा तीन दशकों से अधिक समय तक पट्टेदारों के रूप में रखी गई थी।इसके अलावा कुछ याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी ने उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), कैथल के समक्ष दीवानी मुकदमे दायर किए थे, जिन्होंने पक्षों को 11 *अगस्त, 1995* तक सभी मामलों में कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।ये आदेश अनुलग्नक पी-6, पी-8, पी-10 और पी-12 में निहित हैं। इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी मैजिस्ट्रेट (सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट) कैथल, जिन्होंने 31 जुलाई, 1995 को आदेश पारित किया था, 14 जुलाई, 1995 को दीवानी अदालत द्वारा यथास्थिति के आदेश जारी किए जाने के बाद सीआरपीसी की धारा 146 के तहत इस मामले में रिसीवर नियुक्त करने के लिए किसी भी तरह से सक्षम नहीं थे। यह इंगित करता है कि उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखने की परवाह नहीं की कि दीवानी अदालत इस मामले की जांच कर रही थी और यह वही निर्धारित कर सकती थी कि संपत्ति का वास्तविक कब्जा किसके पास था, विशेष रूप से इस तथ्य के लिए कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत के पट्टेदार के रूप में अपने कब्जे का दावा कर रहे थे और किस संबंध में जमाबंदी रिकॉर्ड उनके पक्ष में था।वे जुमला मालकान के रूप में 1038 कनाल भूमि वाले भूमि के हिस्से के पट्टेदार थे, जिसके *संबंध* में यह न्यायालय भी-8 मई,1995 के अपने आदेश के अनुसार, 1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 17438 में अन्य सिविल रिट याचिकाओं में भी (उपर्युक्त) राज्य और ग्राम पंचायत को निर्देश दिया गया था कि पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियम) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत याचिकाकर्ताओं को उनके कब्जे से बेदखल करना, जिसे इस न्यायालय *की पूर्ण* पीठ द्वारा अधिकार अधिकारातीत घोषित किया गया था।

(13)यह पाया जाता है कि पूरे सबूत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में थे कि उन्होंने ग्राम पंचायत के पट्टेदार के रूप में भूमि का कब्जा रखा था और प्रतिवादी को याचिकाकर्ता

संख्या 4 द्वारा पुलिस में दायर शिकायत में से उनके पक्ष में एक अवैध आदेश पारित करने का लाभ प्राप्त हुआ कि प्रतिवादी को अवैध रूप से और जबरन पंचायत से पट्टेदार के रूप में उनके द्वारा रखी गई 1 एकड़ भूमि के संबंध में उनका कब्जा लेने से रोका जाए।पुलिस और उप-मंडल मैजिस्ट्रेट दोनों ने कार्यवाही का प्रबंधन किया और पुलिस द्वारा तैयार किए गए कलंदरे पर उप-मंडल मैजिस्ट्रेट ने बिना किसी तुकबंदी या कारण के सी.आर.पी.सी की धारा 146 के दायरे में आदेश पारित किया, जो पूरी तरह से अवैध है और कानून के प्रावधानों के खिलाफ है।

(14)यह **धर्मपाल और अन्य बनाम** ***रामश्री (श्रीमती) और*** **अन्य** *(2) में अभिनिर्णित किया* गया है किः—

> "धारा 146 (1) में बताए गए पक्षों के अधिकारों का एक सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारण आवश्यक रूप से अंतिम निर्धारण नहीं है।अंतरिम चरण में निर्धारण अस्थायी भी हो सकता है जब सक्षम न्यायालय अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित करता है या मुकदमे में अंतिम निर्णय लंबित रहने तक विवाद की विषय वस्तु के संबंध में एक रिसीवर की नियुक्ति करता है।जिस क्षण सक्षम न्यायालय ऐसा करता है, अंतरिम स्तर पर भी, मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित कुर्की का आदेश समाप्त होना होता है।अन्यथा, दीवानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश और मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित कुर्की के आदेश के बीच विसंगति होगी। धारा 146 की उप- धारा (1) का परंतुक स्वयं ऐसी स्थिति का संज्ञान लेता है।

(2) (1993) I एस.सी.सी. 435।

> जब कोई दीवानी अदालत निषेधाज्ञा या प्राप्तकर्ता का आदेश पारित करती है, तो यह दीवानी अदालत होती है जो मामले को अपने हाथ में लेती है और उसके आदेश के किसी भी भंग के लिए उसे कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है।इसलिए दीवानी अदालत द्वारा अंतर्वर्ती आदेश के पारित होने पर, यह वैध रूप से कहा जा सकता है कि विवाद के विषय के संबंध में शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है।अन्य आकस्मिक या धारा 146 की उप- धारा (2) के परंतुक (बी) में न्यायसंगत परिणामी आदेशों में दीवानी अदालत द्वारा मामले की जब्ती और शांति के भंग की आशंका के परिणामस्वरूप इच्छा को देखते हुए कुर्की को वापस लेने का आदेश शामिल हो सकता है।इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि संपत्ति मैजिस्ट्रेट के आदेश के

> तहत कुर्की के अधीन तब तक बनी हुई है जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा पक्षों के अधिकारों का अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है।मैजिस्ट्रेट दीवानी अदालत में विवाद विचाराधीनता रहने के दौरान भी अपने द्वारा पारित कुर्की के आदेश को वापस ले सकता है।”

(15) उपरोक्त मामला, वर्तमान मामले के गुणागुण पर सीधा असर डालता है क्योंकि दीवानी कार्यवाही पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित है जिसने यथास्थिति आदेश भी पारित कर दिया है और इसलिए, मैजिस्ट्रेट *किसी भी* तरह से प्रारंभिक आदेश और अंतिम आदेश पारित नहीं कर सकता है कि संपत्ति प्राप्तकर्ता यानी खंड विकास और पंचायत अधिकारी के कब्जे में कुर्क रहेगी।मैजिस्ट्रेट आसानी से अपने द्वारा पारित प्राप्तकर्ता के आदेश को इस तथ्य के लिए वापस ले सकता था कि दीवानी विवाद एक सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित थे।उन्होंने अपने उत्साह के साथ सी.आर.पी.सी की धारा 145 के तहत निर्धारित कानून की आवश्यकता को पूरा किए बिना, जैसा कि ऊपर वर्णित है, धारा 145 सी.आर.पी.सी के तहत अवैध रूप से कार्यवाही की और उस संपत्ति को भी कब्जे में लेने के लिए एक रिसीवर नियुक्त करके अंतिम आदेश पारित किया जो बिल्कुल भी विवाद का विषय नहीं था और जिसके संबंध में प्रतिवादी विवाद में भूमि के वास्तविक कब्जे के तथ्य को नहीं दिखा सकते थे।

(16) प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रकाश चंद सचदेवा बनाम राज्य और एक अन्य** (3) के रूप *में रिपोर्ट किए* गए *सर्वोच्च न्यायालय के* मामले का उल्लेख किया और तर्क दिया कि जहां विवाद कब्जे के अधिकार पर नहीं है, लेकिन कब्जे के सवाल पर मैजिस्ट्रेट को धारा 145 के तहत संज्ञान लेने का अधिकार है। इस मामले के कानून के अवलोकन पर यह पाया गया है कि घर के कुछ हिस्से के संबंध में पिता और बेटे के बीच उत्पन्न हुए विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के उनके न्यायमूर्तियो ने यह माना है कि न तो उच्च न्यायालय और न ही उप-मंडल मैजिस्ट्रेट ने यह पता लगाने की परवाह की है कि क्या प्रतिवादी (बेटे) का अपीलकर्ता (पिता) को अपने घर में प्रवेश करने से कानूनी रूप से रोकने का कोई दावा था।उनका मानना है कि जहां विवाद कब्जे के अधिकार पर नहीं है -

(3) 1 1994 (3) आर. सी. आर 217

लेकिन कब्जे के सवाल पर मैजिस्ट्रेट को धारा 145 सी.आर.पी.सी के तहत संज्ञान लेने का अधिकार है। यह पाया गया कि बेटे द्वारा दिखाई गई संपत्ति पैतृक थी और वह अपने अपीलकर्ता पिता को अपने साथ रहने की अनुमति देने के लिए तैयार था, लेकिन उसे उस अलग हिस्से पर कब्जा करने की अनुमति देने के लिए सहमत नहीं था जो उसके कब्जे में था।

यह ऐसी परिस्थितियों में था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **राम *सुमेर पुरी महंत बनाम* एक्सजेपी *राज्य*** *(4)* बेटे की मदद नहीं कर सकता था और अपीलकर्ता अधिकार का हकदार था।

(4) ए. आई. ई. 11985 एस. सी. 4472

(17) वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता बघेल सिंह ने पंचायत से पट्टेदार के रूप में ज़मुला मालकान से उनके द्वारा रखी गई 1 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जे के सवाल पर विरोध किया, जिसे प्रतिवादी द्वारा खतरे में डाला जा रहा था और इसलिए अपने कब्जे की रक्षा के लिए पुलिस से आवश्यक मदद मांगी।पुलिस ने उक्त भूमि के बारे में कार्यवाही शुरू करने बजाय पूरे मामले को मैजिस्ट्रेट को उन लोगों के बीच कब्जे के अधिकार के संबंध में भेजा जो पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के समय ऐसी कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे।पुलिस ने स्वयं कलंदरे में 1038 कनाल भूमि को शामिल किया और धारा 145 सी.आर.पी.सी की अवधारणा के भीतर मैजिस्ट्रेट से प्रारंभिक आदेश और रिसीवर की नियुक्ति की मांग की।राम सुमेर पुरी के मामले (उपर्युक्त) में यह अभिनिर्धारित *किया गया है कि* कब्जा या निषेधाज्ञा के लिए दीवानी अदालत में एक मुकदमा या उपाय आम तौर पर किसी व्यक्ति को आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र को लागू करने से रोकता है, विशेष रूप से जब कब्जे की दीवानी अदालत द्वारा जांच की जा रही हो और मुकदमाकार विवाद विचाराधीनता रहने के दौरान संपत्ति की पर्याप्त सुरक्षा के लिए निषेधाज्ञा या रिसीवर की नियुक्ति जैसे अंतरिम आदेशों के लिए दीवानी अदालत का रुख करने की स्थिति में हों।मुकदमेबाजी की बहुलता पक्षकारों के हित में नहीं है और न ही अर्थहीन मुकदमेबाजी पर सार्वजनिक समय बर्बाद करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(18) वर्तमान मामले में, संपत्ति का अधिकार का पंचायत के पास है और इसका कब्जा याचिकाकर्ताओं के पास पिछले तीन दशकों से पट्टेदारों के रूप में है, और उप-मंडल मैजिस्ट्रेट द्वारा कानून के प्रावधानों के खिलाफ अनुलग्नक पी-13 और पी-15 में निहित आदेश पारित करके इसे नहीं लिया जा सकता ।उप-मंडल मैजिस्ट्रेट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग (जल्दबाजी में और कानून के प्रावधानों पर अपने दिमाग के किसी भी अनुप्रयोग के बिना) कानून के उल्लंघन में उपरोक्त आदेश पारित किए हैं।

इसलिए पुलिस द्वारा तैयार किए गए कलंदरे सहित उप-मंडल मजिस्ट्रेट, कैथल द्वारा की गई सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया जाता है और पक्षकारों को उस कानून के अनुसार दीवानी न्यायालय के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है जिसके समक्ष दीवानी मुकदमे लंबित हैं।उप-मंडल मैजिस्ट्रेट उन लोगों को, जिनकी संपत्ति उनके द्वारा खंड विकास और पंचायत अधिकारी की देखभाल के लिए एक रिसीवर के रूप में सौंपी गई है, उन लोगों को सौंप देगा और यह देखेगा कि संपत्ति को दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार संबंधित पक्षों को वापस कर दिया जाए।

जसबीर सिंह और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य
(एम. एल. कौल. *न्यायमूर्ति*)

एस. सी. के.

16263 एच. सी.-सरकार, प्रेस, यू. टी., चंडीगढ़.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी